तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5595/2023/टोंक** **हेमराज बनाम गौरा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.10.2023	**एकलपीठ** **श्री रामनिवास जाट, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री शंकर लाल जाट, अधिवक्ता प्रार्थीगण **<u>निर्णय</u>** प्रार्थीगण द्वारा यह निगरानी की धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, टोंक के निर्णय दिनांक 14-09-2023 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। आलौच्य आदेशानुसार अपीलीय न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक ने अपने आदेश दिनांक 14-09-2023 से परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-02-2016 का प्रचलन एवं प्रभाव को स्थगित कर दिया। जिसके विरूद्ध यह निगरानी मंडल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस निगरानी के एडमियशन एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने अपना निगरानीधीन निर्णय दिनांक 14-09-2023 पारित करते समय इस विधिक बिंदू को नजरअंदाज कर दिया कि परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण ने अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि विवादित आराजी वादीगण के पूर्वज हीरा पुत्र चतुर्भूज के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण अपने हिस्से की आराजी पर काबिज काश्त है। हीरा के फौत हो जाने के बाद प्रार्थीगण अपने हक एंव हिस्से की आराजी को अपने नाम	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5595/2023/टोंक** **हेमराज बनाम गौरा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खातेदारी में दर्ज करवाने एवं अपने हिस्से की आराजी का तकास्मा करवाकर अपना हिस्से को अलग करवाने के अधिकारी है। परन्तु अप्रार्थीगण विवादित आराजी का तकास्मा नहीं करवाने के पक्ष में नहीं होकर विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द करने एवं रहन–बय मुंतकिल करने को आमादा है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि परीक्षण न्यायालय ने पूर्ण परीक्षण एवं विवेचन करने के उपरांत ही अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 03–02–2016 पारित कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया था। परंतु अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त विधिक स्थिति को नजरअंदाज करते हुये आलोच्य आदेश दिनांक 14–09–2023 पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि उनके समक्ष वर्तमान अप्रार्थी संख्या 1 ने मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की थी। अपीलीय न्यायालय ने अपना आदेश पारित करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण नहीं किया। जबकि आदेश 41 नियम 3–ए सी0पी0सी0के प्रावधानों के अनुसार मियाद बाहर प्रस्तुत की गई अपील में मियाद प्रार्थना पत्र का निस्तारण किये बिना कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये अपीलीय न्यायालय न्यायालय ने जो निर्णय पारित किया है वह विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। इस प्रकार उक्त निगरानीधीन आदेश एवं प्रकरण के विवेचन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा द्वारा पारित आदेश	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टीए/5595/2023/टोंक** **हेमराज बनाम गौरा व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 03–02–2016 एक अंतरिम आदेश था। जिसमें राजस्व रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये गये थे। इस प्रकार के आदेश में अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक द्वारा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना अपेक्षित नहीं था। परीक्षण न्यायालय के उक्त आदेश के प्रचलन एवं प्रभाव को स्थगित किये जाने के कारण वादग्रस्त भूमियों के खुर्द–बुर्द होने की संभावना उत्पन्न हो गई है, जिसके कारण वादग्रस्त भूमियों बाबत संबंधित पक्षकारों के मध्य वाद बहुलता एवं विधिक जटीलता भी बढ़ेगी। जिसे न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। परिणामस्वरूप यह निगरानी एडमिशन स्तर पर ही आंशिक रूप से स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है एवं अपीलीय न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, टोंक का निगरानीधीन आदेश दिनांक 14–09–2023 अपास्त योग्य होने से अपास्त किया जाता है। मूल ही प्रकरण अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा के यहां विचाराधीन चल रहा है। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मालपुरा को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह उनके यहां विचाराधीन स्थगन प्रार्थना पत्र का सभी संबंधित पक्षों को सुनकर आगामी दो माह में विधि अनुसार निस्तारण करे। तब तक उभयपक्ष वादग्रस्त आराजी के मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखेंगे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	